डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 442/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रामेश्वरलाल नाथ पुत्र बद्रीनाथ जाति नाथ निवासी मोटेर तहसील रावतसर हाल तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र निर्मलकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री कृष्णकुमार वकील–वादी

श्री करणीसिंह प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 05-05-2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई रोही मौजा कालासर के खसरा नम्बर 122/106 की 6.323 है. तहसील पल्लू की में से वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 569/6323 हिस्सा भूमि नाम दर्ज है में से वादी को 0.253 है. भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 0.316 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05-05-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar

Date: 2025.05.28 18:40:10 IST

Reason: SelfAttested